

सरकार ने पीएसएस के तहत खरीद को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

सरकार ने 2025-26 ग्रीष्मकालीन फसल सीजन के लिये [मूल्य समर्थन योजना \(PSS\)](#) के तहत हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में मूँग तथा उत्तर प्रदेश में [मूँगफली](#) की खरीद को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु

- **दालों की खरीद:**
 - घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात नरिभरता को कम करने के लिये, सरकार ने **खरीद वर्ष 2024-25** के लिये **मूल्य समर्थन योजना (PSS)** के तहत राज्य उत्पादन के **100%** तक **तुअर (अरहर)**, **उड़द** तथा **मसूर** की खरीद की अनुमति दी है।
 - **केंद्रीय बजट 2025** में, सरकार ने **PSS** पहल को **2028-29** तक **चार और वर्षों** के लिये बढ़ा दिया है तथा **केंद्रीय नोडल एजेंसियाँ** - **राष्ट्रीय कृषि सहकारी वपिणन संघ लिमिटेड (NAFED)** और **राष्ट्रीय आपदा आकस्मकता नधि (NCCF)** को पूरा राज्य उत्पादन स्तर तक **दालों की खरीद** हेतु अधिकृत किया गया है।
- **PM-AASHA:**
 - **प्रधानमंत्री अननदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)**, जसि वर्ष **2018** में शुरू किया गया था, को **15वें वित्त आयोग चक्र** के दौरान **2025-26** तक **जारी रखने** की मंजूरी दी गई है।
 - **सितंबर 2024** में, सरकार ने **मूल्य समर्थन योजना (PSS)**, **मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS)** और **बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)** को इसके घटक के रूप में शामिल करते हुए **PM-AASHA** की **एकीकृत योजना** को **जारी रखने** को स्वीकृति दी।
 - इस योजना का उद्देश्य **किसानों की उपज के लिये सुनिश्चिति और उचित मूल्य सुनिश्चिति करना, उनकी आय की रक्षा करना** तथा उन्हें **बाजार की अस्थिरता** से बचाना है।
 - **PSS** तब लागू की जाती है जब **अधसूचिति दलहनों, तलिनहनों या खोपरा का बाजार मूल्य, अधिकतम फसल अवधि के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** से नीचे चला जाता है, जसिसे यह सुनिश्चिति होता है कि **किसानों को लाभकारी मूल्य** प्राप्त हो।

नोट:

- सरकार, किसानों को **कीमतों में तेज़ गिरावट** के दौरान **संकटपूर्ण बकिरी** से बचाने हेतु **बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)** लागू करती है, विशेष रूप से **फसल कटाई के समय जल्दी खराब होने वाले कृषि एवं बागवानी उत्पादों** के लिये।
- **मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS)** एक ऐसी व्यवस्था है जसिके अंतर्गत **किसानों को मुआवज़ा दिया जाता है, जब उनकी उपज का बाजार मूल्य MSP से नीचे चला जाता है।**
- **भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी वपिणन संघ लिमिटेड (NAFED):**
 - **नैफेड, बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002** के तहत पंजीकृत है।
 - इसकी स्थापना **1958** में **किसानों को लाभ पहुँचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी वपिणन** को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।